

21.01.25 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी  
 उपस्थित तहसीलदार मुसवार सिपेट प्रार  
 हमने वकील प्रार्थी को सुमागया उद्योगे दोराने बहस  
 अवसर कराया कि प्रार्थी आंखानं 138, 139, 140, 142,  
 69, 70, 71, 72, 199 वारे ग्राम रामनाल तहस मुसवार  
 आंखानं 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 745,  
 750, 751 वारे ग्राम गोगोरा में लिखात हे उक्त आंखी-  
 मात में प्रार्थी का नाम हरिकिशन पुत्र चौबी अंकित  
 हे जबकि सही नाम हरकिशन पुत्र चौबी ही अल  
 नाम सुद्ध करने अवसर प्रार्थी द्वारा विवेक किपायात

हमने वकील प्रार्थी की बहस प मनन किया गया  
 पत्रावली एवं इसके प्रत्येक तहसिलवेजी लिमाड जेठे तहस  
 गमावकी राशन कार्ड, अचाल माड, पैन कार्ड, पहचान  
 पत्र एवं तहसीलदार मुसवार सिपेट का मनी मंदि  
 अध्ययन किया गया तो पता कि प्रार्थी का नाम सुद्ध  
 किया गया उचित ही

अतः प्रार्थी-या प्रार्थी सीमा किया गया  
 तहसीलदार मुसवार को आदे लिद किया गया है कि  
 आंखानं 138, 139, 140, 142, 69, 70, 71, 72, 199 वारे  
 ग्राम रामनाल व आंखानं 737, 738, 739, 740, 741  
 742, 743, 745, 750, 751 वारे ग्राम गोगोरा तहस  
 मुसवार की आंखीमात में प्रार्थी का नाम हरिकिशन  
 हरिकिशन पुत्र चौबी के स्थान प हरकिशन  
 पुत्र चौबी नाम निवाली रामनाल किया  
 जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.25 को किया  
 जाय तदे इजलास सुनाय गया।  
 पत्रावली फल सुमा (बेम) बाद तहसील  
 जाये दाखल उपर हो।

de  
 (राधेश्याम शीतल)  
 उपस्थित उपस्थित  
 मुसवार (सिपेट)